प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उपमहानिरीक्षक पंजीयन
छत्तीसगढ, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 05/2008

राजेन्द्र माहेश्वरी
पत्रकार
संपादक – कर्मचारी दुनिया
ब्यूरो चीफ जनसत्ता, धमतरी .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
एवं जिला पंजीयक, रायपुर .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 20 मार्च 2008)

अपीलार्थी श्री राजेन्द्र माहेश्वरी के द्वारा जन सूचना अधिकारी एवं जिला पंजीयक, रायपुर के आदेश दिनांक 02–02–2008 से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अंतर्गत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री राजेन्द्र माहेश्वरी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 04–01–2008 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें जिला पंजीयक या स्टॉम्प कलेक्टर द्वारा पारित मुद्रांक विधान स्टॉम्प की धारा, स्टॉम्प अधिनियम धारा–47(क)(1) एवं (3) के अंतर्गत पारित आदेश की सत्यप्रतिलिपि, उप पंजीयक द्वारा स्टॉम्प अधिनियम धारा–47(क)(1) एवं (3) के अंतर्गत जिला पंजीयक को जो मूल्य निर्धारण हेतु भेजा जाता है, उसकी सत्यप्रतिलिपि। आवेदक को उक्त जानकारी आवेदन–पत्र के साथ संलग्न प्रारूप में चाही। उसके द्वारा यह जानकारी दिनांक 01–01–2004 से 31–12–2007 तक की अवधि की जानकारी एवं दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि माँगी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आवेदन पत्र पर विचार कर आदेश दिनांक 02–02–2008 के द्वारा आवेदक का आवेदन पत्र अस्वीकार किया। जन सूचना अधिकारी ने आदेश में यह उल्लेख किया कि जिस प्रारूप में आवेदक के द्वारा जानकारी चाही गई थी, उस प्रारूप में कार्यालय में जानकारी रखे जाने का प्रावधान नहीं है। केवल आवेदक को प्रमाणित प्रतिलिपि दी जा सकती है। आवेदक ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि उसे किस अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि चाहिये। साथ ही आवेदक के द्वारा 03 वर्षों की जानकारी चाही गई है, जो कि काफी अधिक है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–7(9) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपातिक रूप से नीचले

स्तर की है, क्योंकि इस अवधि में काफी बड़ी संख्या में प्रकरण निराकृत हुये हैं। अतः यह जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की है।

3/ मेरे द्वारा अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये। अपीलार्थी एवं प्रतिअपीलार्थी दोनों के द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये। समक्ष में दोनों पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा चाही गई जानकारी जिस प्रारूप में चाही गई है, उस प्रारूप में तैयार कर दी जाना चाहिये। उसके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया कि धारा–7(9) के अंतर्गत जानकारी अधिक होने का उल्लेख करते हुये जानकारी दिये जाने से अस्वीकार करना विधिसंगत नहीं है। प्रतिअपीलार्थी जिला पंजीयक का मुख्य तर्क यह है कि 03 वर्ष की अवधि में लगभग 1000 से अधिक प्रकरणों में स्टॉम्प एक्ट के अंतर्गत आदेश दिये गये हैं। इन प्रकरणों को रिकार्ड रूम से निकालकर प्रारूप में तैयार करना संभव नहीं है। कार्यालय में सीमित स्टॉफ एवं संसाधन है, अतः यह जानकारी प्रारूप में तैयार करना धारा–7(9) के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यालय के संसाधनों के अननुपातिक रूप से विचलित करने के प्रावधान के अनुसार है। अतः आवेदन पत्र अस्वीकार किया गया। यदि आवेदक किसी दस्तावेज विशेष की जानकारी चाहते हैं, तो वह उन्हें प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और उसकी प्रतिलिपि भी नियमानुसार आवेदक को दी जा सकती है। जन सूचना अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि अपीलार्थी का यह आरोप सही नहीं है कि जानकारी न देने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–7(9) के प्रावधानों का सहारा लिया गया है। अपीलार्थी यदि किन्हीं दस्तावेज विशेष के प्रकरण की जानकारी चाहता है, तो नियमानुसार अभिलेख शुल्क जमा कर जानकारी ले सकता है।

4/ प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जन सूचना अधिकारी कोई जानकारी निर्मित कर नहीं दे सकता। जो जानकारी कार्यालय में उपलब्ध है उसे ही दी जा सकती है। चूँकि कार्यालय में अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप के अनुसार जानकारी रखे जाने का प्रावधान नहीं है, अतः आवेदक के द्वारा बनाये गये प्रारूप में जानकारी निर्मित कर नहीं दी जा सकती। अतः अपीलार्थी का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उसके द्वारा प्रारूप में ही जानकारी उसे दी जावे। कार्यालय में जिन प्रारूपों में जानकारी रखी जाती है उसकी प्रतिलिपि यदि आवेदक मांगता है तो उसे दी जा सकती है। जहां तक मांगी गई जानकारी संख्यात्मक रूप से अधिक होने का संबंध है, यह मांगी गई जानकारी से ही स्पष्ट है। 03 वर्ष की अवधि में 1000 से भी अधिक प्रकरणों के दस्तावेजों का अवलोकन कर उन्हें प्रारूप के अनुसार तैयार कर देना कार्यालय के सीमित स्टॉफ एवं संसाधनों को देखते हुए निर्धारित अवधि में दिया जाना संभव नहीं है। यह सही है कि जिला पंजीयक कार्यालय में संख्यात्मक रूप से स्टॉफ कम रहता है तथा यदि एक आवेदक के द्वारा मांगी गई जानकारी को तैयार करने

में पूरे स्टॉफ एवं संसाधन को लगा दिया जावे तो अन्य कार्यालयीन कार्य तथा अन्य आवेदकों के सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही नहीं हो सकेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम का यह उद्देश्य नहीं है कि कार्यालय के समस्त कार्य बंद कर केवल एक ही आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी तैयार करने में संसाधन व्यय किये जावें। इसी कारण अधिनियम में धारा–7(9) का प्रावधान किया गया है।

5/ आवेदक ने सभी आदेशों की प्रतिलिपि भी मांगी है। यह दस्तावेज की संख्या जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है कि दस्तावेजों की संख्या 1000 से अधिक है तथा इनकी प्रतिलिपि तैयार करना भी निर्धारित अवधि में संभव नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि इन दस्तावेजों को प्रकरणों को ढूंढकर उनमें से आदेशों की प्रतिलिपि निकालनी होगी। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने मूल आवेदन पत्र में आदेश की सत्यप्रतिलिपि का उल्लेख किया है, जबकि अपील में मूल्यांकन प्रतिवेदन/रिपोर्ट/प्रस्ताव के विरूद्ध किये गये पारित आदेशों की सत्यप्रतिलिपि चाही है। दस्तावेजों में यह ज्ञात करना कि कौन से ऐसे प्रकरण हैं जिनमें कि उप पंजीयक के विरूद्ध आदेश दिये गये हैं श्रमसाध्य है तथा कार्यालय के सीमित स्टॉफ को देखते हुये कठिन होगा। अपीलार्थी ने यह भी चाहा है कि उप पंजीयक द्वारा जिला पंजीयक को धारा–47(क)(1)एवं(3) के अंतर्गत जो मूल्य निर्धारण हेतु भेजा जाता है उसकी सत्यप्रतिलिपि। अपीलार्थी ने वास्तव में कौन से दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि मांगी है वह स्पष्ट नहीं है। उप पंजीयक के द्वारा जिला पंजीयक को धारा–47 के अंतर्गत पत्र के साथ–साथ दस्तावेज भी भेजे जाते हैं। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उसे वास्तव में किस अभिलेख की सत्यप्रतिलिपि चाहिये।

6/ उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है। जिला पंजीयक तथा जन सूचना अधिकारी के आदेश में ऐसे कोई बिन्दु नहीं है, जिन्हें कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विधि विपरीत माना जावे। यह अवश्य निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी यदि किसी दस्तावेज विशेष की सत्यप्रतिलिपि या कार्यालयीन अभिलेख की प्रतिलिपियों की मांग पृथक से आवेदन–पत्र देकर एवं अभिलेख शुल्क जमा कर करता है तो उसे नियमानुसार प्रदान किया जावे।

(रीना वर्मा)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक